(भारत के राजपत्र असाधारण, (भाग–I, खण्ड I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 15 / 2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 25 जुलाई, 2024

विषयः 'अनुपालन बोझ' को कम करने और 'व्यापार करने में सुगमता' को बढ़ाने हेतु निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023, के अध्याय 5 में संशोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के अध्याय 5 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

क्र. सं.	पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	**5.04(क)**	प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 6 माह के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण–पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के फैक्टरी/परिसरों में संस्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 5000/– रु. के संरचना शुल्क के साथ उक्त अवधि को एक बार और 12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियंता के प्रमाणपत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाणपत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाईयों को पूर्ण निर्यात दायित्व अवधि के दौरान पूंजीगत माल का नए संस्थापन	प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण–पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के फैक्टरी/परिसरों में संस्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा प्रति वर्ष 10,000/– रुपये के संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ वैध निर्यात दायित्व अवधि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उक्त अवधि के विस्तार की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियंता के प्रमाणपत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाणपत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाईयों को पूर्ण निर्यात दायित्व अवधि के दौरान पूंजीगत माल का नए संस्थापन प्रमाण पत्र छह माह के

सं. सांख्यी

<table>
<tr><td></td><td></td><td>प्रमाण पत्र छह माह के भीतर प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।</td><td>भीतर प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5.04(ख)</td><td>कलपुर्जों के आयात के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा संस्थापन प्रमाण–पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।</td><td>हटा दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5.13(ग)</td><td>पहले ब्लॉक की निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध ब्लॉक से संबंधित ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में ड्यूटी राशि पर 2 प्रतिशत की संयोजन शुल्क के साथ पहले ब्लॉक ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। आरए 10,000 रुपये प्रति प्राधिकार पत्र के विलंब शुल्क के साथ ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो 6 महीने के बाद, लेकिन प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 6 साल के भीतर प्राप्त होता है। संबंधित आरए द्वारा नियमितीकरण उद्देश्य के लिए ब्लॉक–वार ईओ अवधि के विस्तार के लिए प्रति प्राधिकार पत्र प्रति वर्ष 5,000/– रुपये के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ 6 साल से अधिक के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। यह विलंब शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त है जो निर्यात दायित्व में कमी के कारण देय हो सकता है। जहां पहले ब्लॉक का ईओ उपरोक्त पैरा (क) के संदर्भ में पूरा नहीं होता है, उन मामलों को छोड़कर जहां पहले ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ को आरए द्वारा बढ़ाया जाता है, प्राधिकार पत्र धारक ब्लॉक की समाप्ति से 6 महीने के भीतर प्रथम ब्लॉक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में सीमा शुल्क (डीओआर द्वारा अधिसूचित लागू ब्याज के साथ) का भुगतान करेगा ।</td><td>पहले ब्लॉक की निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध पहले ब्लॉक ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर संयोजन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगाः–
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संयोजन शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>10करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>15,000</td></tr>
</table>
क्षेत्रीय प्राधिकारी 6 महीने के बाद प्राप्त ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के अनुरोध पर, परन्तु प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 6 वर्ष के भीतर निम्नानुसार संयोजन शुल्क पर विचार कर सकता हैः–
<table>
<tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संयोजन शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>30,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

सं. सांगी

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>नियमितिकरण के उद्देश्य हेतु ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के लिए 6 वर्षों के बाद किए गए आवेदन पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी निम्नानुसार संयोजन शुल्क पर विचार कर सकता है:–

<table><tr><td>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</td><td>संरचना शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</td></tr><tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>15,000</td></tr><tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>30,000</td></tr><tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>45,000</td></tr></table>
पूर्व में भुगतान किए गए संयोजन शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

जहां पहले ब्लॉक का ईओ उपरोक्त पैरा (क) के संदर्भ में पूरा नहीं होता है, उन मामलों को छोड़कर जहां पहले ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ को आरए द्वारा बढ़ाया जाता है, प्राधिकार पत्र धारक ब्लॉक की समाप्ति से 6 महीने के भीतर प्रथम ब्लॉक के कुल पूरे न किए गए ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में सीमा शुल्क (डीओआर द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज के साथ) का भुगतान करेगा।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>5.13(ङ.)</td><td>नया प्रावधान</td><td>यद्यपि उपर्युक्त उप पैरा (घ), उप पैरा (ग) एफटीपी (2015–20) के तहत जारी प्राधिकार–पत्र हेतु भी लागू होगा।</td></tr>
</table>

सं. सांगी

<table>
<tr>
<td>5.</td>
<td>5.16(ख)</td>
<td>6 वर्ष से अधिक के निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक एक वर्ष की समाप्ति की तिथि से निर्यात दायित्व अवधि में दो बढोतरी हेतु प्रत्येक वर्ष के विस्तार के लिए अपूर्ण निर्यात दायित्व पर बचाई गई समानुपातिक शुल्क राशि के 2 प्रतिशत के बराबर संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, न्यूनतम संयोजन शुल्क 10,000 रुपये होगा।</td>
<td>निर्यात दायित्व अवधि को 6 वर्ष से अधिक विस्तार के मामले में, दो विस्तार, समाप्ति की तिथि से प्रत्येक, 1 वर्ष या प्राधिकार पत्र धारक की चयन पर एक बार में दो वर्ष संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पर निम्नानुसार विचार किया जा सकता है:-
<table>
<tr><th>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</th><th>प्रत्येक वर्ष संयोजन शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</th></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>20,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>60,000</td></tr>
</table>
पूर्व में भुगतान किए गए संयोजन शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>5.16(ड.)</td>
<td>नया प्रावधान</td>
<td>ब्लाक–वार/ईओ अवधि में विस्तार और/अथवा पहले से किए गए निर्यात के नियमितीकरण की अनुमति देते हुए संयोजन शुल्क लगाने से संबंधित सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु लागू संयोजन शुल्क निम्नानुसार होगा:-
<table>
<tr><th>जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का बचाया गया शुल्क मूल्य</th><th>संरचना शुल्क लगाया जाएगा (रुपय में)</th></tr>
<tr><td>2 करोड़ रु. तक</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रु. पर 2 करोड़ रु. से अधिक</td><td>60,000</td></tr>
<tr><td>10 करोड़ रुपये से ऊपर</td><td>1,00,000</td></tr>
</table>
पूर्व में भुगतान किए गए संयोजन शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।</td>
</tr>
</table>

सं. सारणी

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने हेतु और अनुपालन बोझ को कम करने की दृष्टि से, प्रक्रिया पुस्तक 2023 की निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित अध्याय 5 के कतिपय प्रावधान विदेश व्यापार नीति के तहत जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र हेतु संशोधित किए गए हैं।

संतोष कुमार सारंगी
25.7.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 18/19/एएम–25/पी–5 से जारी)